

E:\vijay estt-III\General\letter.doc

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : एफ. 12(1)गोप्र/मबावि/88/79853
आदेश

जयपुर, दिनांक :
9-11-10

संविधान के 73 वें संशोधन की 11 वीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों में से मुख्य सचिव के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित गतिविधियों से जुड़े महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदित करने/रिब्यू करने के लिए चैनल के सन्दर्भ में पूर्व में जारी आदेशों को अतिक्रमण करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है-

समेकित बाल विकास सेवाएं

गतिविधि	पंचायत समिति				जिला परिषद			
	अधिकारी/ कर्मचारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता	अधिकारी/ कर्मचारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता
वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन	बाल विकास परियोजना अधिकारी	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं	संबंधित शासन सचिव पैतृक विभाग
	अन्य स्टाफ	बाल विकास परियोजना अधिकारी	उप निदेशक	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं	अन्य स्टाफ	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं

महिला अधिकारिता

क्र.सं.	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1	जिला स्तर पर	कार्यक्रम अधिकारी	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
	अन्य स्टाफ	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	आयुक्त, महिला अधिकारिता
2	ब्लॉक स्तर पर	प्रचेता	कार्यक्रम अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
				पैतृक विभाग

उपरोक्त में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उप निदेशकों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार समेकित बाल विकास सेवाओं की शहरी बाल विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभाग के द्वारा पूर्व से निर्धारित चैनल के आदेश यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(म)रा/1/1
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर